

मांग संख्या .  
मुख्य शीर्ष 2049

**मद क्रमांक 1**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाजार से वर्ष 2012-13 में 8.64 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण , 2023 का ऋण लिया गया है। इस ऋण के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 86.40 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 86,40,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

मध्यप्रदेश शासन द्वारा बाजार से वर्ष 2012-13 में 8.63 प्रतिशत म.प्र. राज्य विकास ऋण , 2023 का ऋण लिया गया है। इस ऋण के ब्याज भुगतान हेतु रुपये 129.45 करोड़ का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,29,45,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2051

**मद क्रमांक 1**

राज्य लोक सेवा आयोग हेतु व्यवसायिक सेवाओं की अदायगियों के मद में वर्ष के दौरान राशि रुपये 3,50,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 2**

म.प्र. भवन नई दिल्ली कार्यालय अंतर्गत वाहन प्रतिस्थापन मद में वाहन क्रय हेतु राशि रुपये 15.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

म.प्र. भवन में आडियो वीडियो सिस्टम की स्थापना हेतु राशि रुपये 10.00 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

**मद क्रमांक 4**

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन समिति के पुनर्गठन योजना में महंगाई भत्ते हेतु राशि रुपये 1.86 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

म.प्र. राज्य लोक सेवा अभिकरण की स्थापना हेतु अनुदान मद के अंतर्गत राशि रुपये 71.16 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

लोक सेवा प्रबंधन विभाग के अंतर्गत ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना एवं अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सहायक अनुदान में रुपये 322.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,22,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 8**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान किये जाने हेतु रुपये 1.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में राशि रुपये 15.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 9 - 11**

प्रशासन अकादमी ग्रंथालय के उन्नयन हेतु प्रशिक्षण मद, मशीन उपकरण तथा पुस्तकों के क्रय हेतु राशि रुपये 1,50,00,100 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12 - 13**

लोकायुक्त कार्यालय हेतु वाहन के प्रतिस्थापन मद एवं यात्रा भत्ता में वर्ष के दौरान राशि रुपये 21.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2053

**मद क्रमांक 1**

गणमान्य व्यक्तियों के प्रदेश भ्रमण हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 2**

सरदार सरोवर फर्जी विक्रय पत्र अनियमितता जांच आयोग अंतर्गत मजदूरी मद में रुपये 2.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 4**

म.प्र. राज्य सत्कार कार्यालय अन्तर्गत वाहन का प्रतिस्थापन हेतु रुपये 6.00 लाख एवं अन्य आकस्मिक व्यय हेतु रुपये 50,000 इस प्रकार कुल राशि रुपये 6.50 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत पांच जिला इकाई स्थित पुमनि/उमनि कार्यालयों में सफाई व्यवस्था मद में राशि रुपये 5.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों में संभावित बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 7**

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, ग्रेड-पे, सफाई व्यवस्था एवं अभिभाषकों की फीस मद में राशि रुपये 4,09,00,100 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,09,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

पुलिस मुख्यालय के केन्द्र/राज्यों के पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु अन्य मद में राशि रुपये 7.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 13**

पुलिस प्रशिक्षण शालाओं के अंतर्गत वेतन, मकान किराया, प्रशिक्षण, वाहन अनुरक्षण एवं उपकरण मद में रुपये 2,75,00,100 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,75,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

पुलिस अकादमी, सागर के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों में प्रभारी अधिकारी को समय पर जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अभिभाषकों की फीस मद में अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों में संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15 - 54**

नवगठित एकीकृत संस्थान भौरी (पी.टी.सी) के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भत्तो एवं अन्य दैनिक कार्यों के व्यय एवं विभिन्न मदों में राशि रुपये 2.96 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों में संभावित बचत से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 55**

अपराध अनुसंधान विभाग के अंतर्गत उपकरण हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 56 - 59**

सायबर अपराध अन्वेषण हेतु वर्ष के दौरान राशि रुपये 2.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 60 - 65**

विशेष पुलिस के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, वाहन अनुरक्षण, मटेरियल का क्रय, भोजन व्यय एवं अन्य मद हेतु राशि रुपये 80.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 66**

पशुओं की साज सजा हेतु अन्य प्रभार मद में राशि रुपये 4.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 67 - 68**

अन्य पुलिस के अंतर्गत वेतन एवं मकान किराया हेतु राशि रुपये 2.01 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,01,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 69 - 74**

सामान्य व्यय जिला स्थापना के अंतर्गत वाहनों का प्रतिस्थापन, परिवहन व्यवस्था, वाहन अनुरक्षण, मटेरियल का क्रय, भोजन व्यय एवं प्रशिक्षण मद हेतु राशि रुपये 28.65 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 75**

थानों के सुदृढीकरण हेतु कार्यालय उपकरण मद में राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 76**

सुरक्षा संबंधी व्यय के अंतर्गत हॉक फोर्स प्रशिक्षण एवं लंबित देयकों के भुगतान हेतु प्रशिक्षण मद में राशि रुपये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 77**

बड़े शहरों में यातायात प्रबंधन एवं संसाधन की स्थापना अन्तर्गत राशि रुपये 7.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 78 - 81**

ग्राम रक्षा सतिति हेतु वेतन, बिजली, जल प्रभार, ओ.ओ.सी. एवं पी.ओ.एल. मद में राशि रुपये 70,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 82 - 83**

रेल पुलिस इन्दौर संभाग के अंतर्गत वेतन एवं अन्य मद में राशि रुपये 100.25 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 84**

रेल पुलिस पश्चिम विभाग के अंतर्गत मकान किराया मद में राशि रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 85**

पुलिस कर्मियों का कल्याण के अंतर्गत छात्रवृत्तियां मद में राशि रुपये 28.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 86 - 89**

कम्प्यूटर शाखा के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया एवं ग्रेड-पे हेतु राशि रुपये 2.10 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 90**

बेतर केन्द्र भोपाल एवं ग्वालियर के अंतर्गत उपकरण हेतु राशि रुपये 20.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 91

भर्ती एवं पदोन्नति पर व्यय हेतु परीक्षा मद में राशि रुपये 20.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 92

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत विधान सभा भवन/परिसर की सुरक्षा व्यवस्था हेतु उपकरण मद में राशि रुपये 4.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 93

सी. सी. टी. एन. एस. योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 के दौरान अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र व्यवस्था हेतु राशि रुपये 5.25 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 94 - 95

होमगार्ड आव्हान पर होने वाला व्यय के अंतर्गत भोजन भत्ता एवं विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में राशि रुपये 60.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 96 - 99

प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय के अंतर्गत मकान किराया, अन्य भत्ते, ग्रेड-पे एवं सामग्री एवं पूर्तियां मद में राशि रुपये 53.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

### मद क्रमांक 100

चम्बल रेंज / होशंगाबाद रेंज में वर्ष के दौरान नवीन कार्यालयों एवं भवन निर्माण कार्य हेतु कुल राशि रुपये 3.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 101

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस थानों का निर्माण/सुदृढीकरण हेतु वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 7.56 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 1

अधीक्षक म.प्र. स्टेट गैरेज के अंतर्गत वाहनों का प्रतिस्थापन हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 2**

संपदा संचालनालय के लिए लोक सेवा प्रबंधक तथा कार्यालय सहायक पद पर दो कर्मचारियों की संविदा नियुक्ति कर उनके वेतन हेतु राशि रुपये 3.50 लाख की अतिरिक्त की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 3**

गृह विभाग अंतर्गत न्यायालयीन निर्णय के परिपालन में डिक्रीधन का भुगतान हेतु राशि रुपये 25,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राज्य सैनिक बोर्ड योजना के अंतर्गत वेतन मद में राशि रुपये 13.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

जिला सैनिक बोर्ड योजना के अंतर्गत वेतन मद में राशि रुपये 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

**मद क्रमांक 6**

स्टेट गैरेज के अंतर्गत म.प्र. स्टेट गैरेज के भवन का पुनर्निर्माण एवं आधुनिकीकरण हेतु वृहद निर्माण मद में राशि रुपये 164.38 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05

मुख्य शीर्ष 2056

**मद क्रमांक 1**

जेल विभाग के अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन योजना में वेतन भत्ते मद में राशि रुपये 1.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 4**

केन्द्रीय तथा जिला जेल योजना अंतर्गत वेतन मद में राशि रुपये 28.46 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,46,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

कैदियों की मृत्यु पर आश्रितों को क्षतिपूर्ति मद के अंतर्गत राशि रुपये 15.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06

मुख्य शीर्ष 2054

**मद क्रमांक 1 - 4**

संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा हेतु अन्य भत्ते, स्टेशनरी, पी.ओ.एल. एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु रुपये 28.52 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2075

### मद क्रमांक 5 - 7

पेंशन तथा कर्मचारी कल्याण में वेतन भत्ते, वाहन भत्ता तथा मकान किराया भत्ते हेतु रुपये 4.53 लाख के व्यय संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजना हेतु रुपये 4,53,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

जिला पेंशन कार्यालय की स्थाई संपत्तियों के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 9

सहबद्ध बीमा योजना अन्तर्गत स्वत्वों के भुगतान हेतु नवीन मद में रुपये 60 हजार का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4070

### मद क्रमांक 10

जननिजी भागीदारी योजनान्तर्गत अधोसंरचना विकास हेतु वायबिलिटी गेप फण्डिंग अनुदान में राशि रुपये 33.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 33,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2030

### मद क्रमांक 1

वाणिज्यिक कर विभाग के अन्तर्गत स्टाम्प तथा पंजीयन कार्यालयों की कम्प्यूटराईजेशन योजना हेतु रुपये 20.00 करोड़ अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

### मद क्रमांक 2

जी.एस.टी में इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन के तत्काल भुगतान हेतु राशि रुपये 7,90,000 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड के लिये व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां मद में अति आवश्यक कार्यों के संपादन हेतु नवीन मद खोला जाना है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08

मुख्य शीर्ष 2029

### मद क्रमांक 1

भू-प्रबंधन अंतर्गत कृषकों को निःशुल्क खसरा, खाता उपलब्ध कराने हेतु लेखन सामग्री एवं फार्म मद में राशि रुपये 1.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय

संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 2 - 3

राजस्व बोर्ड अंतर्गत मकान किराया भत्ता में राशि रुपये 1.50 लाख भारित एवं राशि रुपये 1.00 लाख मतदेय का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक विनियोग एवं रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

### मद क्रमांक 12

जिला प्रशासन जिला स्थापना के अंतर्गत डिक्रीधन के भुगतान मद में रुपये 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 11

जिला प्रशासन जिला स्थापना के अंतर्गत वाहनों का प्रतिस्थापना, अभिभाषकों की फीस, परिवहन व्यवस्था अंतर्गत राशि रुपये 630.80 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,30,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 8

जिला प्रशासन, जिला स्थापना के अंतर्गत वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, अन्य भत्ते, ग्रेड-पे में राशि रुपये 104.95 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,04,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 13

तहसील जिला एवं संभाग के भवन निर्माण हेतु रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 1

वनों की अभिरक्षा हेतु लगे विशेष पुलिस बलों को महंगाई भत्ता भुगतान हेतु राशि रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

### मद क्रमांक 2

सेटलाइट इमेजरी के अंतर्गत अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रुपये 399.99 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

नर्सरी अधोसंरचना का सुदृढीकरण के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रुपये 26.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत रुपये 4.00 करोड़ का व्यय आवश्यक है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट से की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11  
मुख्य शीर्ष 2230

#### मद क्रमांक 1

उद्योग संचालनालय (रोजगार प्रभाग) मुख्यालय, भोपाल को वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 119.56 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,19,56,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2 - 5

उच्चैः अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र की स्थापना अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड-पे एवं यात्रा भत्ता हेतु राशि रुपये 6.20 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

#### मद क्रमांक 6 - 9

मध्यवर्ती कार्यालय में अधिकारियों / कर्मचारियों को वेतन भत्ते, व्यवसायिक सेवाओं एवं लेखन सामग्री मद के अन्तर्गत कुल राशि रुपये 10,08,100 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,08,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10

मध्य प्रदेश राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण कार्य करने के लिये कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 7.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 11

म.प्र. ट्रायफेक को संधारण अनुदान हेतु राशि रुपये 2.50 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 12 - 16

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजनान्तर्गत लेखन सामग्री, अन्य आकस्मिक व्यय, प्रशिक्षण, सेमीनार कार्यशाला, सम्मेलन एवं उपकरण हेतु बजट में मद खोला जाना है। राशि की व्यवस्था उपलब्ध बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 17

उद्योग निवेश संवर्धन सहायता योजनान्तर्गत राशि रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 18

टेक्सटाईल उद्योगों के लिये विशेष ब्याज अनुदान की सुविधा का लाभ देने हेतु नवीन मद खोलते हुये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12  
मुख्य शीर्ष 2045

**मद क्रमांक 1 - 2**

सहायक विद्युत निरीक्षक सतना कार्यालय के किराये का भुगतान एवं परीक्षा के मानदेय एवं अन्य व्यय हेतु किराया एवं महसूल एवं परीक्षक मद में रुपये 3,90,000 का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 3**

स्थाई कृषि पंप उपभोक्ताओं पर दिनांक 28.2.2013 की स्थिति में लंबित देयकों में लगने वाले सरचार्ज को शून्य कर एवं अवशेष मूल राशि को स्थिर कर उसकी 50 प्रतिशत की वसूली करने पर उतनी ही राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत अनुदान के रूप में प्रदान की जाना है। अतः अनुदान राशि रुपये 152.48 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,52,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

अटल ज्योति अभियान के तहत विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपभोक्ता जागृति योजना अभियान के माध्यम से उपभोक्ताओं को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है। इस हेतु अनुदान राशि रुपये 10.00 करोड़ आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये हैं।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

कृषकों को नवीन विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत वितरण कंपनियों को रुपये 7388.00 लाख की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 73,88,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13  
मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल के अन्तर्गत अधीनस्थ एवं विशेषज्ञ कर्मचारीवृन्द (जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला) योजनान्तर्गत संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु राशि रुपये 2.68 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल के अन्तर्गत राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान योजनान्तर्गत रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग म.प्र. भोपाल अंतर्गत राज्य कृषक आयोग में वाहन का प्रतिस्थापन मद में राशि रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14  
मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 1 - 2**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत राज्य पशु चिकित्सालय के आधुनिकीकरण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पशुपालन विभाग अंतर्गत भैस के नर मादा वत्सों का संगोपन योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति अन्य मदों की संभावित बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 6**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशु चिकित्सालयों एवं पशु औषधालयों का सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 142.38 लाख की आवश्यकता है। इसमें राज्यांश राशि रुपये 49.00 लाख तथा केन्द्रांश राशि रुपये 93.38 लाख है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,42,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4403

**मद क्रमांक 7**

पशु चिकित्सालयों के लिये निर्माण कार्य हेतु रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

पशुपालन विभाग के अंतर्गत अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत रुपये 1.30 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 1**

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत इंदिरा आवास योजना हेतु भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत रुपये 45000/- के स्थान पर रुपये 70000/- प्रति इकाई आवास निर्धारित की गई है। राज्यांश की पूर्ति हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से अतिरिक्त रुपये 2695.20 लाख आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,95,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 2**

विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्धघुमकड़ जनजाति के छात्रों के शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये 14 बालक एवं 6 कन्या कुल 20 विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक छात्रावास 50 सीट प्रत्येक, कक्षा 6वीं से 10वीं तक के लिये छात्रावासों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 287.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16

मुख्य शीर्ष 2405

**मद क्रमांक 1**

संचालनालय मत्स्योद्योग अंतर्गत मुछआ कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष एवं कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु रुपये 9.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 3

संचालक मत्स्योद्योग के अंतर्गत पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर में मत्स्य विज्ञान संकाय के स्नातक पाठ्यक्रम के संचालन तथा कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 209.33 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,09,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	17
मुख्य शीर्ष	2425

### मद क्रमांक 1

उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत एस.एल.पी. में दिये गये निर्णयानुसार आयुक्त, सहकारिता अंतर्गत म.प्र. विधिक सेवा प्राधिकरण में रुपये 1.00 लाख का कास्ट जमा करने हेतु राशि रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 11

आयुक्त सहकारिता भोपाल अन्तर्गत म.प्र. राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी योजना अंतर्गत नवीन मद खोलते हुये वेतन भत्ते, मजदूरी, कार्यालय व्यय तथा परिवहन व्यवस्था मद में राशि रुपये 95.14 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजना हेतु रुपये 95,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

सहकारिता विभाग के अंतर्गत सहकारी न्यायाधिकरण की स्थापना अंतर्गत वेतन भत्ते मद में समचुअरी भत्ता हेतु राशि रुपये 28,000 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	6425
-------------	------

### मद क्रमांक 13

आयुक्त, सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें भोपाल अंतर्गत प्रदेश के ओला पाला से प्रभावित कृषकों के अल्पकालीन कृषि ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु रुपये 6.98 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,98,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	18
मुख्य शीर्ष	2210

### मद क्रमांक 1

श्रम विभाग के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के लिये विशेष सेवाओं के लिये मानदेय मद में रुपये 17.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

श्रम विभाग के अंतर्गत प्रशासन के लिये पेट्रोल तेल आदि हेतु रुपये 1.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

श्रम विभाग के अंतर्गत राज्य बीमा चिकित्सालय के लिये अन्य व्यय हेतु रुपये 2.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

#### मद क्रमांक 4

श्रम विभाग के अंतर्गत श्रम कानून के क्रियान्वयन के लिये अन्य भत्ते हेतु कुल राशि रुपये 20,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19

मुख्य शीर्ष 2210

#### मद क्रमांक 1

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत वेतन मद में अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 273.30 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,73,30,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत क्षय चिकित्सालयों में अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 100.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 3 - 6

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत जिला चिकित्सालयों हेतु मकान किराया भत्ता, अन्य भत्तें एवं ग्रेड-पे हेतु राशि रुपये 2226.33 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,26,33,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 7

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत अंध रोग उपचार की रोकथाम ईकायों में मकान भत्तों हेतु राशि रुपये 15.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 8 - 11

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में वेतन, महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 2493.61 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,93,61,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 12

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 176.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,76,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 13 - 14

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्र में मकान किराया भत्ता एवं अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 188.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,88,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 15 - 16

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत परिचारिकाओं के प्रशिक्षण में अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 97.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 97,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 17 - 18

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत राज्य स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान एवं प्रशिक्षण केन्द्र में मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 89.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 89,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 19

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 190.00 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,90,00,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 20 - 22

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत फाईलेरिया में मकान किराया भत्ता तथा अन्य भत्तों हेतु राशि रुपये 94.10 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 94,10,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 23

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल को परीक्षा शुल्क हेतु राशि रुपये 6.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। उक्त प्रावधान नवीन मद के रूप में शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 24 - 26

लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत शीत ज्वर में मकान किराया भत्ता, अन्य भत्तों तथा मजदूरी हेतु राशि रुपये 309.40 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,09,40,000 के अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 27-28

लोक स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मोखा जिला सिंगरोली एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बैराठ जिला शिवपुरी में सामुदायिक केन्द्र का उन्नयन, 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र राज मार्ग चौराहा जिला नरसिंहपुर के निर्माण, जिला चिकित्सालय सीधी में 24 आवासीय भवनों के निर्माण हेतु कुल राशि रुपये 1233.00 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 500/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20

मुख्य शीर्ष 2215

### मद क्रमांक 1

न्यायालयीन प्रकरणों के अन्तर्गत डिक्रिधन के भुगतान हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4215

### मद क्रमांक 2

ईयरमार्क जलगुणवत्ता कार्यक्रम में रुपये 53.39 लाख राज्यांश एवं रुपये 53.39 लाख केन्द्रांश कुल राशि रुपये 106.78 लाख का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,78,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

नक्सल प्रभावित जिलों में ग्रामीण बसाहटों में सौर ऊर्जा पर आधारित पंपों की स्थापना अंतर्गत रुपये 682.38 लाख (राज्यांश रुपये 204.71 लाख एवं केन्द्रांश रुपये 477.67 लाख) की लागत से योजना क्रियान्वित की जाना है। योजना अंतर्गत राज्यांश की राशि रुपये 204.71 लाख का व्यय स्वीकृत बजट की बचत से किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,77,67,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

नाबार्ड की आर.आई.डी.एफ. परियोजना अन्तर्गत पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन हेतु रुपये 150.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21  
मुख्य शीर्ष 2059

#### मद क्रमांक 1

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन में शौर्य स्मारक का निर्माण हेतु ( प्रादर्शों का एकत्रीकरण एवं प्रस्तुतीकरण) राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है। इस हेतु नवीन मद खोलते हुये प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 2 - 9

आवास एवं पर्यावरण विभाग, राजधानी परियोजनान्तर्गत शौर्य स्मारक का रख रखाव, सुरक्षा व्यवस्था एवं हाउस कीपिंग के कार्य हेतु नवीन योजना खोलते हुये राशि रुपये 25.00 लाख एवं शौर्य स्मारक के कर्मचारियों के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 14.00 लाख कुल राशि रुपये 39.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 39,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

#### मद क्रमांक 10

सचिव आवास एवं पर्यावरण के अन्तर्गत सिरपुर तालाब, इन्दौर में पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हेतु नवीन योजना खोलते हुये राशि रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

#### मद क्रमांक 11

आवास एवं पर्यावरण संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के अन्तर्गत संविदा कर्मचारियों के पारिश्रमिक के लिये राशि रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ राशि रुपये 5,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4217

#### मद क्रमांक 12

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत राजधानी परियोजना प्रशासन वार मेमोरियल का निर्माण हेतु राशि रुपये 700.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6217

#### मद क्रमांक 13

आवास एवं पर्यावरण संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के अन्तर्गत साडा ग्वालियर की आवासीय योजना के अन्तर्गत विकास हेतु राशि रुपये 21.03 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 21,03,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 22  
मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 1**

अग्निशमन केन्द्र पीथमपुर में स्थाई सम्पत्ति का अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2 - 4**

अग्निशमन केन्द्र इन्दौर में पी. ओ. एल. हेतु राशि रुपये 5.00 लाख, लघु निर्माण कार्य हेतु 2.00 लाख, स्थाई सम्पत्ति का अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 2.00 लाख इस तरह कुल राशि रुपये 9.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 9,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

अग्निशमन केन्द्र भोपाल में लघु निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 2.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 7**

अग्निशमन केन्द्र मालनपुर में लघु निर्माण कार्य हेतु 1.00 लाख, स्थाई सम्पत्ति का अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 2.00 लाख इस तरह कुल राशि रुपये 3.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

**मद क्रमांक 8 - 11**

मध्य प्रदेश सफाई कामगार आयोग का गठन योजना के अन्तर्गत दूरभाष व्यय, किराया, महसूल और स्थानीय कर, विशेष सेवाओं के लिये मानदेय एवं परिवहन व्यवस्था हेतु कुल राशि रुपये 6.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

मास रेपिड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम सर्वे योजनान्तर्गत राशि रुपये 800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

लोक परिवहन एवं यातायात सर्वे अध्ययन योजनान्तर्गत राशि रुपये 465.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,65,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 23  
मुख्य शीर्ष 4711

**मद क्रमांक 1**

बाढ़ नियंत्रण योजना अंतर्गत निम्नांकित 5 योजनाओं को शामिल किया जाना है, जिसकी कुल लागत रुपये 1827.66 लाख है। आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र.	जिला योजना का नाम	लागत	अनुपूरक अनुदान की राशि
1.	दमोह बर्री बाढ़ नियंत्रण योजना	155.06	100
2.	नरसिंहपुर हीरापुर घाट	362.60	100



3. मंडला	शहर में नर्मदा नदी पर रंगरेज घाट का निर्माण	350.00	100
4. मंडला	शहर में नर्मदा नदी पर मुन्नीबाई धर्मशाला के नजदीक घाट निर्माण	150.00	100
5. रायसेन	रायसेन जिले में नर्मदा घाट का चौड़ीकरण का कार्य	810.00	100

-----  
योग            1827.66            500  
-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 500 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या    24  
मुख्य शीर्ष    3054

### मद क्रमांक 1

अनुरक्षण और मरम्मत एवं साधारण मरम्मत मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

अभिभाषकों के शुल्क के भुगतान हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

राजमार्गों / मुख्य जिला मार्गों का नवीनीकरण, उन्नतीकरण एवं डामरीकरण मद में राशि रुपये 50.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

आरबीट्रेशन शुल्क इत्यादि के भुगतान हेतु राशि रुपये 5.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

मुख्यालय स्थापना मद में बिजली एवं जल प्रभार के अन्तर्गत राशि रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है। इस व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजनार्थ 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष    5053

### मद क्रमांक 6

देवी अहिल्याबाई होल्कर विमानतल इंदौर के विस्तार हेतु भू-अर्जन के भुगतान हेतु रुपये 26.39 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

हवाई पट्टियों का निर्माण एवं उन्नयन हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत उज्जैन एवं छिन्दवाड़ा के हवाई पट्टियों के उन्नयन का कार्य भी सम्मिलित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

वृहद पुलों के निर्माण योजना के अंतर्गत निम्नांकित 12 नवीन कार्य अपरीक्षित मद के रूप में प्रस्तावित है। राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत	अनुदान राशि
			( रुपये लाख में )		
1.	भोपाल	बैरसिया से गढ़ाकला मार्ग पर बाह्य नदी पर पुल निर्माण	0.00	600.00	100
2.	भोपाल	जमुसरकला से कढैयाशाह मार्ग पर बाह्य नदी पर पुल निर्माण	0.00	1000.00	100
3.	सीहोर	इटावाकला एवं इटारसी के मध्य नाले के ऊपर वर्तमान स्टापडेम के पास ऊंजी पुलिया का निर्माण	100	258.00	100
4.	सीहोर	चौरसाखेड़ी से धौलपुर मार्ग पर नेडी नदी पर पुल निर्माण	70	219.00	100
5.	सीहोर	ग्राम सातदेव में सीप नदी पर रपटा निर्माण	130	528.00	100
6.	सीहोर	रफीकगंज लोदड़ी में पुल निर्माण	90	280.00	100
7.	सीहोर	डोंगलपानी से पिपलानी के मध्य अजनाल नदी पर पुलिया निर्माण	45	470.00	100
8.	हरदा	ग्राम गाडरपुर जिला हरदा से ग्राम नाहरकोला जिला होशंगाबाद को जोड़ने वाले गंजाल नदी पर पुल निर्माण	160	557.00	100
9.	टीकमगढ़	खाकरौन से लुहरगुवां बारगी नदी (पीपरीघाट) पर पुल निर्माण	100	203.13	100
10.	टीकमगढ़	ग्राम ममोरा से हथेरी के बीच बारगी नदी पर पुल निर्माण	100	255.39	100
11.	दतिया	सिंहपुरा तैडोत मार्ग पर पहूज नदी पर पुल निर्माण	157	1110.69	100
12.	सागर	करापुर के पास ग्राम तिसुआ एवं बारछा में नदी पर पुल निर्माण	35.2	153.15	100

योग 4629.36 1200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण अंतर्गत निम्नानुसार 3 नवीन कार्य अपरीक्षित मद के रूप में प्रस्तावित है। जिनकी अनुमानित लागत रुपये 6176.06 लाख है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लं.	लागत	अनुदान राशि
			( रुपये लाख में )		
1.	सागर	सागर रेल्वे क्रॉसिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण	603.00	2461.06	100
2.	ग्वालियर	महाराजा मानसिंह तोमर प्रतिमा से सिंधिया कन्या विद्यालय के तिराहे तक नवीन आर.ओ.बी. निर्माण	0.00	3500.00	100
3.	दतिया	दतिया शहर में रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	0.00	215.00	100
			योग	6176.06	300

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़कों सहित) 4 नवीन कार्यों पर रुपये 6565.87 लाख का व्यय अनुमानित है, जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी। नवीन कार्यों की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	मार्ग की लं.	समिति द्वारा अनुदान की
------	------	--------------	--------------	------------------------

( कि.मी. ) अनुसंसित राशि राशि ( रु. में )  
( राशि लाख में )

1. दमोह	हटा मानपुरा कुलुआ स्नेह मार्ग	13.60	774.52	100
2. दमोह	हटा ( चण्डी जी मंहरि ) से भिडारी पहुंच मार्ग	2.50	253.22	100
3. सीहोर	मालीवाया झोलियापुर से बीरपुर मार्ग	33.40	3909.76	100
4. शिवपुरी	ग्राम मकरोली से धोलागढ़ मार्ग सुभाषपुर वाया मोहनीडोंगरी	25.10	1628.37	100

योग 6565.87 400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

ग्रामीण सड़कों का निर्माण ( नाबार्ड ) के अंतर्गत 44 नवीन कार्य अपरीक्षित मद के रूप में प्रस्तावित है। आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई ( राशि लाख में )	लागत ( रुपये में )	अनुदान राशि ( रुपये में )
1.	सीहोर	मुंगावली से बड़वेली मार्ग का निर्माण	5.00	297.69	100
2.	सीहोर	सीहोर नगरीय क्षेत्र के सेकडाखेड़ी मार्ग का भोपाल सीहोर बायपास मार्ग तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य	2.00	179.00	100
3.	सीहोर	पाण्डागांव में स्थित केवट कालोनी में रोड़ निर्माण	0.80	100.00	100
4.	मंदसौर	मंदसौर संजीत टू लेन मार्ग निर्माण	31.20	4716.00	100
5.	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर तिंदनी गरगटा मार्ग	8.00	692.34	100
6.	नरसिंहपुर	गौडी धूबघट मार्ग	1.20	108.65	100
7.	नरसिंहपुर	इमलिया मोराच मार्ग	3.40	254.04	100
8.	नरसिंहपुर	उमरिया से पिपहा मार्ग	5.60	952.99	100
9.	शयोपुर	विजयपुर बायपास मार्ग	5.65	674.96	100
10.	शिवपुरी	डबिया जगन से देवरी मार्ग	3.60	183.36	100
11.	शिवपुरी	बरखेड़ा से बामोरकला मार्ग	2.80	151.20	100
12.	शिवपुरी	सुलारकलां से लखारी मार्ग	12.00	540.76	100
13.	शिवपुरी	पिपारा से भौती मार्ग	8.80	438.23	100
14.	शिवपुरी	तिघारी से बामोर डामरौन मार्ग	5.80	301.81	100
15.	मंदसौर	नगर भानपुरा छोटा महादेव एवं बड़ा महादेव पहुंच मार्ग	4.00	542.00	100
16.	रायसेन	ग्राम महेश्वर से छौंद मार्ग	6.50	460.40	100
17.	रायसेन	बगलवाड़ा सतरावन डूमर से मांगरोल मार्ग	31.50	2278.95	100
18.	रायसेन	ग्राम बिलखिरिया से माँ कंकाली माता मंदिर मार्ग का उन्नयन एवं डूलेन निर्माण	4.00	200.00	100
19.	विदिशा	ग्राम कनारी से दासखजूरी नटेरन, रायपुर, नरखेड़ा, खड्या, बर्धा से मनियाबरखेड़ा, फुफेर खुसौर मार्ग	20.00	1600.00	100
20.	विदिशा	उदयपुर पठारी से खुरई ( सागर ) तक टूलेन सड़क निर्माण	50.00	4000.00	100
21.	सीहोर	ग्राम सातदेव में मुख्यमार्ग से आश्रम तक सड़क निर्माण	0.90	97.25	100
22.	सीहोर	शाहपुरा से मुख्यमार्ग तक पहुंच मार्ग	3.40	280.68	100
23.	सीहोर	लाडकुई से सिंहपुर मार्ग	1.90	126.51	100

24. सीहोर	लाडकुई से हबीबनगर मार्ग	2.60	151.17	100
25. सीहोर	चीच से नीलकंठ प्लाट मार्ग	4.00	273.94	100
26. छतरपुर	चांदला से बासिया मार्ग	10.00	115.00	100
27. सीहोर	लाडकुई से गुलालपुरा मार्ग	4.60	299.33	100
28. सीहोर	बांडागांव में पहुंच मार्ग	2.00	175.59	100
29. हरदा	ग्राम गोदड़ी से गाडरापुर मार्ग	6.00	450.00	100
30. हरदा	ग्राम छोटी छीपानेर से नर्मदा नदी तक टूलेन मार्ग	3.50	465.00	100
31. होशंगाबाद	धरमकुण्डी से हथनापुर (आंवलीघाट) मार्ग का सात मीटर चौड़ीकरण	16.60	1700.00	100
32. होशंगाबाद	पथरई से सेमरीहरचंद्र मार्ग	3.00	180.00	100
33. होशंगाबाद	ग्राम भीलटदेव नंदरवाड़ा केलाझिर सालई पारछा मार्ग	15.00	1050.00	100
34. होशंगाबाद	जीरावेर चौकी भैरोपुर निपानिया मार्ग	10.00	770.00	100
35. होशंगाबाद	निपानिया खटकड़ छकलाय चतरखेड़ा मार्ग	12.00	880.00	100
36. होशंगाबाद	खकरापुर बेराखेड़ी खरार पिपलिया मार्ग	8.00	590.00	100
37. होशंगाबाद	बाबडिया मउ से अमलाडा भादूगांव मार्ग	14.00	1060.00	100
38. होशंगाबाद	सिवनी मालवा से बाबरीघाट	22.00	1800.00	100
39. देवास	भीकपुरा से लेपरियापुरा मार्ग	2.25	152.90	100
40. खण्डवा	हरसूद चार खेड़ा बीड मुन्दी मार्ग होते हुए संत सिंगाजी समाधी स्थल तक का दो लेन मार्ग	11.00	1300.00	100
41. होशंगाबाद	पिपरिया शहर में बायपास मार्ग का निर्माण	7.80	1654.36	100
42. सतना	हिनौती से पिथैपुर मार्ग	5.02	280.50	100
43. होशंगाबाद	कुसुमकुई झकलाय गाड़रिया हरपालपुर हथनापुर मार्ग	15.00	900.00	100
44. धार	नंदीपुरा से शमशान घाट तक मार्ग	3.80	299.03	100

योग 37307.81 4400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 26  
मुख्य शीर्ष 2205

### मद क्रमांक 1

तीर्थ स्थान एवं मेला प्राधिकरण की स्थापना हेतु रुपये 5.00 करोड़ की आतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्राहलय में कार्यरत संविदा कर्मचारियों के वेतन भत्तों का भुगतान हेतु राशि रुपये 40.00 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

डॉ. वी. एस. वाकणकर शोध संस्थान में संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

आयुक्त पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय में संग्रहालय अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 482.98 लाख के अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,82,98,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

**मद क्रमांक 5**

राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय अंतर्गत जिला विचरणिका पुनरीक्षण हेतु गजेटियरों का अद्यतन एवं प्रकाशन कार्य हेतु राशि रुपये 10.00 लाख के व्यय की संभावना है। उपरोक्तानुसार प्रावधान नवीन मद खोलते हुये किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 6**

संचालक स्वराज संस्थान संचालनालय, द्वारा शहीद ओम प्रकाश मरदानियां ग्राम शाहपुरा की स्मारक का निर्माण एवं शहीद चंपालाल ग्राम घटला जिला रतलाम की स्मृति स्मारक हेतु राशि रुपये 23.45 लाख के व्यय की संभावना है। उपरोक्तानुसार प्रावधान नवीन मद खोलते हुए किया जाना प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 23,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1 - 3**

राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना - शिक्षक शिक्षा अंतर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये उपकरण/प्रशिक्षण एवं अन्य कार्य हेतु 75:25 के अनुपात में राज्यांश राशि रुपये 199.89 लाख एवं केन्द्रांश राशि रुपये 599.66 लाख कुल रुपये 799.55 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,99,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 6**

राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु शिक्षक - शिक्षा योजना अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत विभिन्न कार्यों हेतु 75:25 के अनुपात में राज्यांश राशि रुपये 35.25 लाख एवं केन्द्रांश राशि रुपये 105.75 लाख कुल राशि रुपये 141.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,41,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 9**

राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना - शिक्षक शिक्षा अन्तर्गत सरकारी शिक्षा महाविद्यालयों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु 75:25 के अनुपात में राज्यांश की राशि रुपये 115.71 लाख एवं केन्द्रांश रुपये 347.14 लाख कुल रुपये 462.85 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,62,85,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 10**

राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना - शिक्षक शिक्षा अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के भवनों में निर्माण कार्य हेतु 75:25 के अनुपात में राज्यांश की राशि रुपये 715.47 लाख एवं केन्द्रांश रुपये 2146.41 लाख कुल रुपये 2861.88 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 28,61,88,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु शिक्षक शिक्षा योजना अंतर्गत केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु 75:25 के अनुपात में राज्यांश राशि रुपये 51.42 लाख एवं केन्द्रांश राशि रुपये 154.28 लाख कुल राशि रुपये 205.70 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,05,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

राज्य शिक्षा केन्द्र हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना शिक्षक शिक्षा योजना अंतर्गत सरकारी शिक्षा महाविद्यालयों के भवनों में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु 75:25 के अनुपात में राज्यांश रुपये 115.24 लाख एवं केन्द्रांश राशि रुपये 345.74 लाख कुल रुपये 460.98 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,60,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29  
मुख्य शीर्ष 2014

### मद क्रमांक 1

माननीय उच्च न्यायालय की मुख्य खण्डपीठ जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर में कार्यालयीन फर्नीचर का क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 456.68 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,56,68,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

माननीय उच्च न्यायालय में कम्प्यूटराईजेशन योजना के अंतर्गत कार्यालय व्यय, उपकरण क्रय हेतु राशि रुपये 67.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 67,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

उच्च न्यायालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। उक्त राशि का समायोजन मांग संख्या 67 से समर्पित कर किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

सिविल एवं सत्र न्यायालय सामान्य स्थापना योजना में यात्रा भत्ता मर्दों के अंतर्गत राशि रुपये 8.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5 - 6

केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गठित विशेष न्यायालय हेतु मजदूरी एवं अन्य प्रभार हेतु राशि रुपये 25,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 3.65 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। उक्त राशि का समायोजन मांग संख्या 67 से समर्पित कर किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

विधि विभाग के अन्तर्गत महाधिवक्ता कार्यालय के कम्प्यूटराईजेशन हेतु राशि रुपये 4.50 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

महाधिवक्ता कार्यालय के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 25.00 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना

है। उक्त राशि का समायोजन मांग संख्या 67 से समर्पित कर किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

परिवार न्यायालय की स्थापना के अंतर्गत किराया भत्ता हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2015

### मद क्रमांक 11

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के लिये एक नवीन वाहन का क्रय हेतु राशि रुपये 5.50 लाख के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12 - 13

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय अन्तर्गत निर्वाचक नामावली की तैयारी एवं मुद्रण के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राशि रुपये 14.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। केन्द्रांश के रुप में रुपये 7.00 करोड़ प्राप्त होंगे।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 14,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14 - 25

राज्य विधान मण्डल के चुनाव के लिये वर्ष के दौरान राशि रुपये 34.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 34,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 26

विधि विभाग के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं पुस्तकालय के सुदृढीकरण हेतु राशि रुपये 10.00 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है। उक्त राशि का समायोजन मांग संख्या 67 से समर्पित कर किया जावेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 27

विधि विधायी कार्य विभाग के अन्तर्गत मध्य प्रदेश माध्यस्थम अधिकरण कार्यालय के लिये वित्तीय वर्ष 2013-14 में वाहन क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 7.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3454

### मद क्रमांक 1

बेसिक स्टेटिस्टिक्स फार लोकल डेवलपमेंट योजना अंतर्गत देवास जिले में सर्वेक्षण कराये जाने हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 46,07,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,07,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा मध्यप्रदेश में आधार परियोजना के प्रचार-प्रसार हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 1.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	32
मुख्य शीर्ष	2220

### मद क्रमांक 1

क्षेत्र प्रचार मेला उत्सव, प्रदर्शनी के अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

अटल ज्योति योजना, मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना, अन्नपूर्णा योजना इत्यादि योजनाओं के विभिन्न प्रचार माध्यमों से विशेष प्रचार अभियान हेतु राशि रुपये 15.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	33
मुख्य शीर्ष	2202

### मद क्रमांक 1-5

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी विकास के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु मकान किराया भत्ते मद में रुपये 448.02 लाख की आवश्यकता है। समतुल्य राशि भारत मद में किये गये प्रावधान से समर्पित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,48,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2225
-------------	------

### मद क्रमांक 6 -15

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी विकास के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु मकान किराये मद में रुपये 2,14,85,100 की आवश्यकता है। समतुल्य राशि भारत मद में किये गये प्रावधान से समर्पित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,14,85,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2515
-------------	------

### मद क्रमांक 16

आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आदिवासी विकास के कर्मचारियों एवं अधिकारियों हेतु मकान किराया भत्ते मद में रुपये 8.10 लाख की आवश्यकता है। समतुल्य राशि भारत मद में किये गये प्रावधान से समर्पित की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,10,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	34
मुख्य शीर्ष	2235

### मद क्रमांक 1

संचालक, समाज कल्याण म.प्र. भोपाल अंतर्गत समग्र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अंतर्गत राशि रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



मांग संख्या 36  
मुख्य शीर्ष 2041

**मद क्रमांक 1**

परिवहन विभाग के अंतर्गत आर.टी.ओ. कार्यालय में सुविधाओं के विस्तार हेतु लघु निर्माण कार्य मद में रुपये 150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

परिवहन विभाग में व्यापम के माध्यम से चयनित 342 नव आरक्षकों की भर्ती के पश्चात उनके प्रशिक्षण हेतु परीक्षा एवं प्रशिक्षण मद में रुपये 18.55 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

**मद क्रमांक 3**

परिवहन विभाग के अंतर्गत आयुक्त मुख्यालय कार्यालय, 4 महानगरीय एकीकृत परिवहन कार्यालय परिसर, 6 मध्यम स्तरीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों का निर्माण/ड्रायवर ट्रेनिंग स्कूल व जन सुविधाओं अभिलेख संधारण हेतु उप वृहद निर्माण कार्य, कार्यालय भवनों का निर्माण मद में रुपये 5.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 37

मुख्य शीर्ष 3452

**मद क्रमांक 1**

संपत्तियों के नवीनीकरण / अनुरक्षण हेतु सहायता राशि रुपये 199.99 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत मार्केटिंग कार्यालयों के स्थापना व्यय हेतु सहायता राशि रुपये 399.99 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत इण्टरप्राइजेस रिसोर्स प्लानिंग हेतु सहायता राशि रुपये 364.99 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,64,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत म.प्र. पर्यटन के मास्टर प्लान हेतु सहायता राशि रुपये 99.99 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 99,99,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 39

मुख्य शीर्ष 2408

**मद क्रमांक 1 - 2**

खाद्य विभाग के अंतर्गत पुरस्कार योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि रुपये 50.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

खाद्य विभाग के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिये अन्नपूर्णा योजना अंतर्गत रुपये 75.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

खाद्य विभाग के अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शकर क्रय कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में वितरण हेतु नवीन बजट मद में 6 माह के लिये रुपये 30.00 करोड़ का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 13**

खाद्य विभाग के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कम्प्यूटराईजेशन हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि रुपये 5,42,97,000/- का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,42,97,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

**मद क्रमांक 14**

खाद्य विभाग के अंतर्गत संभागीय कार्यालय की प्रयोगशालाओं के सुदृढीकरण योजना हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त राशि रुपये 6.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 6,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 1**

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में विगत वर्ष की व्यय गत राशि रुपये 0.35 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.12 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 0.47 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2-3**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालय यथा जतारा (टीकमगढ़), पवई (पन्ना), सेंधवा (बड़वानी), राजगढ़, नसरुल्लागंज (सीहोर), इटारसी (होशंगाबाद), सिरोंज (विदिशा) एवं नरसिंहपुर के उन्नयन हेतु रुपये 336.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। जो संस्थाओं द्वारा नवीन उपकरण, मशीन, फर्नीचर एवं पुस्तको के क्रय में व्यय किया जावेगा। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में राशि रुपये 336.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,36,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 4**

मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम फरीदाबाद की ओवरड्यू का भुगतान किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2778.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,78,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विभिन्न विकास कार्यों के लिये भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत वर्ष 2013-14 के लिये निर्धारित राशि एवं गत वर्ष की अव्ययित राशि को एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा पाकेट, कलस्टर में विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर व्यय किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 777.88 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,77,88,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 6 - 9**

पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में पशुपालकों को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु 18 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 27.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 10**

मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जनजाति के कारीगरों / शिल्पियों को रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 88.45 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,45,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 11**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश में स्थापित 11 पोलिटेकनिक महाविद्यालय यथा खण्डवा, खरगौन, जावरा, ग्वालियर, बैदुन, बुरहानपुर, दमोह, पन्ना, धार, भिण्ड एवं नरसिंहपुर में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु रुपये 57.75 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में राशि रुपये 57.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,75,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

ग्राम धावाबावड़ी जिला बड़वानी में भीमा नायक प्रेरणा केन्द्र की स्थापना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 88.02 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 88,02,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 13**

आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला शहडोल में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा एवं चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला सिवनी में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी) के तहत चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

आदिवासी क्षेत्रों में ग्रामीण शालाओं में जलप्रदाय योजना अंतर्गत 3000 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1500.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

आदिवासी नक्सल प्रभावित जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 669 बसाहटो की नलजल योजनाओं के लिये सोलर पंपो की स्थापना की जाना है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, 30 प्रतिशत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं 30 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1705.95 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,05,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 17**

आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण लागत रुपये 5.83 लाख प्रति भवन के मान से कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है, राशि योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4403

**मद क्रमांक 18**

पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में पशुपालको को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु 18 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। पशु औषधालयों की लिये भूमि अधिग्रहण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 247.80 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,47,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्रों में पशुपालको को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु 3 पशु चिकित्सा संस्थाओं का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत रुपये 40.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 20**

इंदिरा सागर परियोजना के नहरो की स्वीकृति के अनुसार कमान क्षेत्र में वॉटर कोर्स एवं फिल्ड चैनल के निर्माण कार्य हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21**

ओंकारेश्वर परियोजना के नहरो की स्वीकृति के अनुसार कमान क्षेत्र में वॉटर कोर्स एवं फिल्ड चैनल के निर्माण कार्य हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु आदिवासी उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22

ओंकारेश्वर परियोजना के मुख्य नहर के साथ वितरण प्रणाली, कॉमन वॉटर केरियर, राईजिंग मेन, पम्प हाउस, बैलेंसिंग रिजर वायर एवं उद्वहन सिंचाई के निर्माण कार्यों हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

### मद क्रमांक 23

आदिवासी क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बढ़ाने एवं आदिवासी वर्ग के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ए.आई.बी.पी. योजना अन्तर्गत निम्नांकित योजनाओं का निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	योजना का नाम	जिला	विकास खंड	लागत (रु. लाखों में)
1.	अदावड़ा बैराज	अलीराजपुर	जोबट	178.75
2.	बनियातारा तालाब	मण्डला	मोहगांव	909.68

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42  
मुख्य शीर्ष 5054

### मद क्रमांक 1

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	खण्डवा	खण्डवा हरदा होशंगाबाद मार्ग के कि.मी. 0 से 10 (इंदिरा चौक से टोल प्लाजा तक) का चौड़ीकरण का कार्य	10.00	2962.59
2.	होशंगाबाद	राजकीय राजमार्ग क्रमांक 15 (होशंगाबाद हरदा खण्डवा) के कि.मी. 155/2 से 157 के मध्य मार्ग का चौड़ीकरण का कार्य सिसवनी मालवा से बानापुरा तक नगरीय क्षेत्र	3.00	1722.84

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निम्नांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	(राशि लाख में)	
			लंबाई	लागत
1.	धार	महाविद्यालय पहुंच मार्ग	2.00	200.00

2. धार	बलेड़ी से गंधवानी के मध्य धामी रोड़ से सिरोंज तक मिसिंग लिंक	4.00	260.00
3. बड़वानी	मण्डवाना से राजपुर मार्ग	12.85	984.27
4. डिण्डौरी	बालपुर से रामगढ़ मार्ग	8.00	450.52

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	43
मुख्य शीर्ष	2204

### मद क्रमांक 1

खिलाडियों के लिये छात्रावास योजनान्तर्गत पदस्थ अमले के मकान भाड़ा भत्ते के एरियर की राशि के भुगतान हेतु रुपये 0.15 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

युवा ओलम्पिक का आयोजन ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

युवाओं को भारत की अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं, एल. ओ. सी. में प्रतिवर्ष 10 स्थलों पर एक्सपोजर विजिट पर भेजने हेतु राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	44
मुख्य शीर्ष	2202

### मद क्रमांक 2

अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय के भूमि पूजन एवं राष्ट्रीय हिन्दी सम्मेलन के आयोजन हेतु आकस्मिकता निधि से रुपये 2,17,58,000/- का अग्रिम स्वीकृत किया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 2,17,58,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 1

अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्व विद्यालय हेतु वेतन भत्ते हेतु राशि रुपये 3.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

छत्रसाल विश्वविद्यालय की स्थापना अन्तर्गत नवीन मद के रूप में राशि रुपये 100/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

शासकीय महाविद्यालयों के शैक्षणिक अमले को यू. जी. सी. छठवें वेतनमान के एरियर्स की प्रथम किस्त के भुगतान हेतु राशि रुपये 175,00,00,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 175,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

कौशल विकास योजनान्तर्गत रोजगारमूलकता बढ़ाने के उद्देश्य से विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने हेतु राशि रुपये 1,00,00,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6202

**मद क्रमांक 6**

अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को पांचवे वेतनमान में पुनरीक्षित पेंशन के एरियर्स का भुगतान हेतु राशि रुपये 6.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

मुख्य शीर्ष 2702

**मद क्रमांक 1**

लघु सिंचाई योजना अंतर्गत 13वां वित्त आयोग योजना मद में रुपये 7.00 करोड़ की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। उक्त राशि का समायोजन मांग संख्या 23-2702 आयोजनेतर से समर्पित कर किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

**मद क्रमांक 2**

प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार हेतु रुपये 65.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है एवं निम्नानुसार नवीन योजनायें शामिल की जाना प्रस्तावित है। जिसकी अनुमानित लागत रुपये 19531.64 लाख है। आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	योजना का नाम	जिला	लागत (रुपये लाख में)	सिंचाई क्षमता	अनुपूरक अनुदान की राशि (रुपये में)
------	--------------	------	-------------------------	---------------	--

1.	पथाघाट वियर	छतरपुर	186.44	190	100
2.	गुरजन घाटा वियर	छतरपुर	161.21	155	100
3.	फूपनार कलॉन बैराज	बुरहानपुर	227.60	160	100
4.	बखरी बैराज	बुरहानपुर	235.96	216	100
5.	सेलगांव बैराज	बुरहानपुर	207.03	145	100
6.	रनावां बैराज	राजगढ़	105.02	105	100
7.	नांदगांव बैराज	राजगढ़	143.66	140	100
8.	खराडिया बैराज	धार	324.80	220	100
9.	कवरवाड़ा बैराज	धार	331.35	225	100
10.	गोपालपुरा सालिड वियर	मंदसौर	345.55	351	100
11.	अकड़याविका तालाब	मंदसौर	409.72	195	100
12.	गोपालपुरा तालाब	मंदसौर	864.87	450	100
13.	बनी तालाब	मंदसौर	576.74	290	100
14.	बिहारिया बैराज	उज्जैन	492.20	410	100
15.	महूघाटा स्टापडेम	सतना	120.68	120	100
16.	बसेनिया टप्पर बैराज	सीहोर	104.58	104	100
17.	सावलखेड़ा बैराज	सीहोर	119.86	83	100
18.	बोरघाटी बैराज	सीहोर	102.21	100	100

19. बसेनिया बैराज	सीहोर	104.58	104	100
20. नान्दियाखेड़ा बैराज	सीहोर	100.94	100	100
21. गिल्लौर बैराज	सीहोर	177.11	190	100
22. मगरिया टापर बैराज	सीहोर	144.54	15	100
23. श्यामगांव बैराज	सीहोर	122.95	125	100
24. धनकोट बैराज	सीहोर	108.97	115	100
25. मोहगांव तालाब	छिंदवाड़ा	8333.00	3928	100
26. रामगढ़ (पारेवा) तालाब	टीकमगढ़	1153.79	130.00	100
27. असपुरा तालाब	मंदसौर	988.77	76.97	100
28. कालापिपल तालाब	भोपाल	1985.32	321.00	100
29. बिलखुरा तालाब	पन्ना	554.59	111.64	100
30. बारबीरा नाला तालाब	पन्ना	697.20	74.71	100

योग 19531.64 3000

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान तथा रुपये 65,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

लघु सिंचाई अंतर्गत सुधार सुदृढीकरण एवं पुर्स्थापना अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता अंतर्गत रुपये 25.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र के विस्तार हेतु ए.आई.बी.पी. योजना अंतर्गत रुपये 60.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता एवं 14 नवीन योजनायें निम्नानुसार शामिल की जाना प्रस्तावित है, प्रस्तावित नवीन परियोजना हेतु आवश्यक राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी:-

क्र. योजना का नाम जिला लागत सिंचाई क्षमता अनुपूरक अनुदान की राशि

1. नागाझिरी बैराज	देवास	190.40	198	100
2. लिली बैराज	देवास	210.43	170	100
3. गरदी बैराज	देवास	196.46	182	100
4. तमरा पहाड़ तालाब	रीवा	456.86	210	100
5. कछोटिया तालाब	राजगढ़	355.86	160	100
6. पाटनखुर्द तालाब	राजगढ़	366.66	190	100
7. मोतीपुरा खाती तालाब	राजगढ़	241.20	130	100
8. किशनपुरिया तालाब	राजगढ़	362.00	215	100
9. क्वाला तालाब	राजगढ़	241.66	190	100
10. उदपुरिया तालाब	राजगढ़	109.38	110	100
11. धनवाड़ी तालाब	गुना	317.33	160	100
12. छाबरा बैराज	रायसेन	184.72	155	100
13. गोटिया देव तालाब	धार	483.77	360	100
14. कदवाल तालाब	धार	314.31	174	100

योग 4031.04 1400

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 1400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 5**

डिक्रीधन के भुगतान मद के अंतर्गत 5.00 करोड़ अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47  
मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 1 - 3**

शासकीय पॉलिटिकन महाविध्यालय नरसिंहपुर हेतु केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत प्राप्त राशि रुपये 62.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 62,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

**मद क्रमांक 4**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों अन्तर्गत समयमान वेतनमान / एरियर्स की राशि के भुगतान हेतु राशि रुपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार योजनान्तर्गत मकान किराया भत्ते के भुगतान हेतु राशि रुपये 3.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 6**

प्रदेश में 11 पॉलिटिकन महाविध्यालय, खण्डवा, खरगौन, जावरा, ग्वालियर, बैढन, बुरहानपुर, दमोह, पन्ना, धार, भिण्ड, नरसिंहपुर में महिला छात्रावास भवन निर्माण हेतु केन्द्रीय सहायता रुपये 596.75 लाख एवं 07 नवीन नवीन पालीटेकनिक महाविद्यालय जतारा, पन्ना, सेंधवा, राजगढ़, नसरुल्लागंज, इटारसी, सिंरोज के भवन निर्माण हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता रुपये 3410.00 लाख, 20 पालीटेकनिक महाविद्यालयों सरदार वल्लभ भाई पटेल पालीटेकनिक/महिला पालीटेकनिक भोपाल, सनावद, डबरा, सिरसाडोह, पचौर, सिवनी, टीकमगढ़, बैतूल, सतना, बड़वानी, जावद, खुरई, राघौगढ़, शहडोल, होशंगाबाद, अशोकनगर, हरदा, उज्जैन, छिंदवाड़ा के छात्रावास भवन निर्माण हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता राशि रुपये 1085.00 लाख इस प्रकार कुल राशि रुपये 5091.75 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 50,91,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 48  
मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 1**

इंदिरा सागर सी.ए.डी. प्लान के अंतर्गत वाटर कोर्स एवं फिल्ड चैनल के निर्माण पर रुपये 328.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

ओंकारेश्वर परियोजना फेस-4 के कार्यों हेतु रुपये 100.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 49  
मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1 - 3**

विभागीय कार्य सुचारु रूप से संचालन करने के लिये डाक एवं तार व्यय हेतु राशि रुपये 50,000/- एवं किराया महसूल, स्थानीय कर हेतु रुपये 5,00,000/- तथा वाहन के प्रतिस्थापन हेतु प्रतीक प्रावधान के रूप में राशि रुपये 100/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,50,000/- एवं रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

प्रदेश में निवासरत समस्त विमुक्त घुमकड एवं अर्द्धघुमकड जातियों के लिये समेतिक विकास योजना बनाने के लिये सर्वेक्षण कार्य हेतु रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50  
मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1**

संचालनाय उद्यानिकी अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत राशि रुपये 3590.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51  
मुख्य शीर्ष 2250

**मद क्रमांक 1**

धर्मस्व विभाग के अंतर्गत अन्य सामाजिक सेवायें योजना अंतर्गत शासकीय मंदिरों का जीर्णोद्धार मद में रुपये 4.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में तीर्थ यात्रा के लिये राज सहायता राशि के रूप में रुपये 5.00 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 52  
मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 1**

केन्द्र प्रवर्तित इंदिरा आवास योजना हेतु भारत सरकार द्वारा योजनांतर्गत रुपये 45000/- के स्थान पर रुपये 70000/- प्रति इकाई आवास निर्धारित की गई है। राज्यांश की पूर्ति हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से अतिरिक्त रुपये 4548.15 लाख आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,48,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 2**

पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों की स्थापना योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के निर्धन एवं कमजोर वर्ग के पशुपालको को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के उचित उपचार हेतु औषधियाँ उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 54  
मुख्य शीर्ष 2415

**मद क्रमांक 1**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल के अन्तर्गत जवाहर लाल नेहरु कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर को पेंशन भुगतान हेतु राशि रुपये 18.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 18,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल के अन्तर्गत बोहानी जिला नरसिंहपुर में कृषि महाविद्यालय की स्थापना योजनान्तर्गत नवीन मद खोलते हुये रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्य प्रदेश, भोपाल के अन्तर्गत बोहानी जिला नरसिंहपुर में गन्ना अनुसंधान केन्द्र की स्थापना योजनान्तर्गत नवीन मद खोलते हुये रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1**

राज्य महिला संसाधन केन्द्र अंतर्गत आर्थिक सहायता मद में राशि रुपये 33.45 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

पूर्ण शक्ति केन्द्र योजना अंतर्गत आर्थिक सहायता मद में राशि रुपये 40.11 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 3**

आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण अंतर्गत वृहद निर्माण कार्य मद में राशि रुपये 64.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56  
मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त हाथकरघा, मध्य प्रदेश, भोपाल अन्तर्गत मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत नवीन मद खोलते हुये रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल अन्तर्गत प्रचार एवं प्रसार योजनान्तर्गत कारीगर पंचायत हेतु राशि रुपये 75,00,000/- की आवश्यकता है। इस हेतु रुपये 75.00 लाख राज्य की आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किये गये हैं।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 75,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

संचालक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, भोपाल अन्तर्गत मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजनान्तर्गत नवीन मद खोलते हुये राशि रुपये 4,67,00,000/- का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,67,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

संचालक मध्य प्रदेश माटीकला बोर्ड, भोपाल अन्तर्गत मुख्यमंत्री ब्याज अनुदान योजनान्तर्गत नवीन मद खोलते हुये रुपये 100/- का प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 100/- के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	57
मुख्य शीर्ष	4700

### मद क्रमांक 1

पशुपालन विभाग के अंतर्गत विश्व बैंक सहायित नये पशु आहार संयंत्र स्थापना के लिये एम.पी.सी.डी.एफ. को अनुदान हेतु रुपये 20.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	58
मुख्य शीर्ष	2245

### मद क्रमांक 1

प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के अंतर्गत प्रदेश में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावितों को सहायता हेतु रुपये 30.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	61
मुख्य शीर्ष	2700

### मद क्रमांक 1

बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास की योजनाओं के संधारण हेतु रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4215
-------------	------

### मद क्रमांक 2

बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पाईपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना अंतर्गत रुपये 277.28 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,77,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4700
-------------	------

### मद क्रमांक 3

बुन्देलखण्ड क्षेत्र विकास की योजनाओं के निर्माण हेतु रुपये 100.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 63  
मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 1 - 3**

अल्पसंख्यक आयोग, पिछड़ा वर्गों के कल्याण अन्तर्गत वेतन भत्ते, वाहनों का प्रतिस्थापन (प्रतीक प्रावधान) तथा व्यावसायिक सेवा एवं अदायगियां हेतु राशि रुपये 7,40,100/- का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 7,40,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर रुपये 600 तथा स्नातकोत्तर स्तर पर रुपये 800 प्रति विद्यार्थी के स्थान पर स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर रुपये 1500 प्रति विद्यार्थी की दर से निःशुल्क पुस्तके तथा लेखन सामग्री के लिये रुपये 50 के स्थान पर रुपये 500 प्रति विद्यार्थी की दर से राशि प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 2**

विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के तहत अनुसूचित जाति उपयोजना में विगत वर्ष की व्यय गत राशि रुपये 0.32 लाख केन्द्रांश एवं रुपये 0.10 लाख राज्यांश के रूप में कुल रुपये 0.42 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 5**

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय की केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित पोलिटेकनिक महाविद्यालय यथा जतारा (टीकमगढ़), पवई (पन्ना), सेंधवा (बड़वानी), राजगढ़, नसरुल्लागंज (सीहोर), इटारसी (होशंगाबाद), सिरोंज (विदिशा) एवं नरसिंहपुर के उन्नयन हेतु रुपये 672.00 लाख का अनुदान प्राप्त हुआ है। जो संस्थाओं द्वारा नवीन उपकरण, मशीन, फर्नीचर एवं पुस्तको के क्रय में व्यय किया जावेगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 672.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,72,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

**मद क्रमांक 6**

मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद अंतर्गत रुपंकर कलाओं पर केन्द्रित आर्ट-मार्ट प्रदर्शनी एवं रंग सोपान समारोह हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 106.05 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,05,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 7**

मुख्यमंत्री विमुक्त जाति स्वरोजगार योजना अंतर्गत विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्धघुमकड़ जातियों के आर्थिक विकास के लिये स्वरोजगार हेतु प्रतिव्यक्ति रुपये 3.00 लाख का अनुदान एवं शेष राशि की व्यवस्था बैंक ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है। योजना को अपरिक्षत मद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये मध्य प्रदेश राज्य सेवा व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रदेश में संभागीय मुख्यालयों पर 7 परीक्षा

पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इन केन्द्रों में आमंत्रित विषय विशेषज्ञों को व्याख्यान पर रुपये 400/- प्रति घण्टा के मान से मानदेय के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 37.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9

विमुक्त जाति प्री-मैट्रिक छात्रावासों / आश्रमों / सामुदायिक कल्याण केन्द्रों में निवासरत विमुक्त , घुमकड़ एवं अर्द्धघुमकड़ जनजाति के विद्यार्थियों को गणवेश (स्वेटर, जूते एवं मौजे) का प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 48.71 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी। योजना को अपरिक्षत मद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10

विमुक्त , घुमकड़ एवं अर्द्धघुमकड़ जनजाति के शासकीय इंजीनियरिंग / मॉडिकल / बीडीएस महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिये लैपटाप का प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 25.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी। योजना को अपरिक्षत मद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

मुख्यमंत्री आवास भाड़ा योजना अंतर्गत विमुक्त , घुमकड़ एवं अर्द्धघुमकड़ जनजाति के ग्रामों से शहर आकर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को संभागीय मुख्यालय के शहरों में रुपये 2000/- प्रति माह व जिला मुख्यालयों में रुपये 1000/- प्रति माह आवास भाड़ा दिया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 50.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतों से की जावेगी। योजना को अपरिक्षत मद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 12 - 13

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित अम्बेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थ अमले के मकान किराया भत्ता तथा अध्ययनरत छात्रों के भोजन व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 13.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2403

### मद क्रमांक 14 - 17

पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पशुपालकों को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु 11 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 7.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18

मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के माध्यम से भैंस के नर एवं मादा वत्सों का संगोपन योजना का क्रियान्वयन किया जाना है। योजनांतर्गत 6 प्रक्षेत्रों पर भैंस की मुर्रा एवं भदावरी नस्ल के नर एवं मादा वत्सों के संगोपन किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में योजनांतर्गत रुपये 12.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 19

पशु औषधालय योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति के निर्धन एवं कमजोर वर्ग के पशुपालकों को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के

उचित उपचार हेतु पशु चिकित्सालय एवं औषधालयो द्वारा औषधियाँ उपलब्ध कराया जाता है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत रुपये 150.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

### मद क्रमांक 20

विमुक्त जाति बस्तियों में विद्युतीकरण योजना अंतर्गत विमुक्त, घुमकड़ एवं अर्द्धघुमकड़ जनजाति की बस्तियों में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 100.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी। योजना को अपरिक्षत मद के रूप में शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

### मद क्रमांक 21

मुख्यमंत्री कारीगर स्वरोजगार योजना अंतर्गत मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के कारीगरो / शिल्पियों को रोजगार स्थापित करने हेतु ऋण तथा अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 182.08 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,82,08,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 22

भारत सरकार मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित 11 पोलीटेकनिक महाविद्यालय यथा खण्डवा, खरगौन, जावरा, ग्वालियर, बैदण, बुरहानपुर, दमोह, पन्ना, धार, भिण्ड एवं नरसिंहपुर में महिला छातावास भवन निर्माण हेतु रुपये 115.50 लाख की राशि निर्गमित की है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना में राशि रुपये 115.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,15,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 23

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये शासकीय चिकित्सालय बड़नगर का 100 बिस्तरीय सिविल अस्पताल में उन्नयन किया जाना है, जिस पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 1150.00 लाख का व्यय अनुमानित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 24

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र धुधड़का जिला मंदसौर का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन लागत रुपये 260.00 लाख तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करैरा जिला शिवपुरी में 30 बिस्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लागत रुपये 260.00 लाख से निर्माण किया जाना है। जिस पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत कुल रुपये 520.00 लाख का व्यय अनुमानित है, व्यय की पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 25

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा के साथ चिकित्सा शिक्षा हेतु उपलब्ध कराये जाने हेतु जिला विदिशा में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में ग्रामीण शालाओं में जलप्रदाय योजना अंतर्गत 3000 ग्रामीण शालाओं में पेयजल व्यवस्था के लिये केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1500.00 लाख का व्यय संभावित है, जिसकी पूर्ति बजट में उपलब्ध बचतो से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27**

अनुसूचित जाति बाहुल्य नक्सल प्रभावित जिले में राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम योजना अंतर्गत प्रथम चरण में 669 बसाहटों की नलजल योजनाओं के लिये सोलर पंपों की स्थापना की जाना है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 40 प्रतिशत राशि राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि, 30 प्रतिशत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम एवं 30 प्रतिशत राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1023.57 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,23,57,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28**

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण लागत रुपये 5.83 लाख प्रति भवन के मान से कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 16.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है, राशि योजना आयोग भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्रदान की गई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 29**

पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पशुपालको को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु 11 नवीन पशु औषधालयों की स्थापना की जाना प्रस्तावित है। पशु औषधालयों के लिये भूमि अधिग्रहण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 72.60 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 72,60,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 30**

अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में पशुपालको को उनके पशुओं में होने वाली विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु 2 पशु चिकित्सा संस्थाओं का भवन निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 31**

इंदिरा सागर परियोजना के नहरो की स्वीकृति के अनुसार कमान क्षेत्र में वॉटर कोर्स एवं फिल्ड चैनल के निर्माण कार्यों हेतु केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 50 प्रतिशत राशि केन्द्रांश के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में व्यय की जावेगी। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 31.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 32**

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित स्थानों पर न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना अंतर्गत मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।



(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत
1.	विदिशा	बरीघाट धतुरिया करारिया अण्डिया से इकोदिया मार्ग	12.00	826.49
2.	मंदसौर	रातीखेड़ी से कांकरवा बालाजी (व्हाया भोलिया) मार्ग	7.00	315.00

उक्त निर्माण कार्य पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 33

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निर्मांकित स्थानों पर ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबार्ड) योजना अंतर्गत निर्मांकित मार्गों का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

(राशि लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत
1.	रतलाम	महू नीमच फोरलेन से घटला पहुंच मार्ग	3.40	210.17
2.	रतलाम	रतलाम धानासुता मार्ग	31.00	6000.00
3.	सागर	निर्तला भापसोन मण्डी बानोरा मार्ग	25.00	2080.32
4.	सागर	करापुर चनाटोरिया मार्ग	7.20	576.00
5.	सागर	गौरझामार केसली टडा सीहरमड टूलेन मार्ग	51.00	4080.00
6.	सागर	महाराजपुर झमारा मार्ग कि.मी. 5 से 20 तक	16.00	1280.00
7.	छतरपुर	लवकुशनगर बायपास मार्ग	3.70	288.84
8.	छतरपुर	चंदला हथौड़ा अजयगढ़ (पन्ना) मार्ग	23.00	1840.00

उपरोक्त निर्माण कार्यों पर अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में होने वाले व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 1

विमानन विभाग संचालनालय के अन्तर्गत विमानन संचालनालय हैंगर परिसर में विभिन्न कार्यों के राशि रुपये 19,41,100/- की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 19,41,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3053

### मद क्रमांक 2

विमानन संचालनालय के अन्तर्गत एयर होस्टेस तथा फ्लाईट स्टीवर्ड के प्रशिक्षण हेतु राशि रुपये 2,55,000/- का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,55,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66

मुख्य शीर्ष 6225

### मद क्रमांक 1

म.प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम को ऋण भुगतान अंतर्गत राशि रुपये 9.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67  
मुख्य शीर्ष 4059

**मद क्रमांक 1**

जेल सुधारों की आयोजना अंतर्गत निर्माण कार्यों पर रुपये 7.95 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

विश्राम भवन/गृह का निर्माण पुनर्निर्माण पुनस्थापना अंतर्गत निम्नांकित 3 कार्य किये जाने हैं जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

क्र.	जिला	मार्ग का नाम	लागत	अनुदान राशि
1.	बड़वानी	बड़वानी में सर्किट हाऊस का निर्माण	360.12	100
2.	दमोह	पथरिया में रेस्ट हाऊस का निर्माण	80.98	100
3.	सीहोर	नवीन विश्राम भवन का निर्माण	140.89	100
योग			581.00	300

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

विदिशा जिले में वाणिज्यिक कर कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 66.33 लाख की आवश्यकता है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

राजभवन परिसर स्थित कान्हा भवन पुनर्निर्माण हेतु रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है। इस हेतु राज्य की आकस्मिकता निधि से रुपये 50.00 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

अधिनस्थ न्यायालयों के भवन एवं आवासीय परिसर निर्माण एवं जनसुविधाओं के लिये रुपये 16.50 करोड़ का व्यय आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजना हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

विधि विभाग के अन्तर्गत कार्यालयों का उन्नयन किया जाना है। जिस हेतु रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान का आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

महाधिवक्ता कार्यालयों का निर्माण एवं उन्नयन तथा जन सुविधाओं का उन्नयन किया जाना है। जिस हेतु रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान का आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

उच्च न्यायलय के भवन एवं आवासीय परिसर निर्माण किया जाना है। जिस हेतु रुपये 7.50 करोड़ की आवश्यकता है। जिसकी पूर्ति स्वीकृत बजट

की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 प्रतीक अनुपूरक अनुदान का आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4216

### मद क्रमांक 9

जिला प्रशासन के अंतर्गत जिला सीहोर में वर्तमान में कलेक्टर भवन को आवासीय परिसर में परिवर्तित करने हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69

मुख्य शीर्ष 3425

### मद क्रमांक 1

स्टेट डाटा सेंटर के विस्तार हेतु आवश्यक उपकरण/ मशीन के लिये राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के प्रभावी संचालन/तकनीकी सहयोग पर्यवेक्षण हेतु विभिन्न विभागों में प्रोजेक्ट ई-मिशन टीम की सेवायें प्रदाय करने हेतु राशि रुपये 10.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

प्रदेश के 50 जिलों की जिला प्रशासन की मुख्य वेबसाईट को रि-डिजाइनिंग एवं रि-डेवलप करने हेतु नवीन मद के रूप में प्रतीक प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 1

कमला नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल अंतर्गत वेतन भत्ते में रुपये 54.14 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 5

देशी चिकित्सा पद्धति अंतर्गत वेतन भत्ते, गृह भाड़ा भत्ता, ग्रेड-पे तथा किराया महसूल कर में रुपये 11.88 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6 - 9

जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय गैस राहत भोपाल अंतर्गत वेतन भत्ते, आकस्मिक व्यय, सुरक्षा व्यवस्था तथा सफाई व्यवस्था हेतु रुपये 57.72 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10 - 11

पी.एम.सी. चिकित्सालय गैस राहत भोपाल अंतर्गत मकान किराया, संविदा कर्मचारियों का पारिश्रमिक हेतु रुपये 11.22 लाख का व्यय होना संभावित

है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 12 - 13

भोपाल गैस दुर्घटना संबंधी दावा संचालनालय अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन, ग्रेड-पे तथा यात्रा भत्ता दौरे हेतु रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य अंतर्गत कार्यालय व्यय हेतु रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 1

भारत शासन द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध चिकित्सालय भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर के आकस्मिक चिकित्सा सेवाओं के उन्नयन हेतु वर्ष 2006-07 में उपकरण आदि क्रय करने के लिये रुपये 1000.00 लाख प्राप्त हुए थे। इस राशि को पी. डी. खाते में जमा नहीं किया जा सका। अब तक रुपये 456.00 लाख का व्यय हो चुका है। वर्ष 2012-13 में रुपये 1,93,78,100 आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु प्रथम अनुपूरक अनुमान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 1,93,78,100/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2 - 6

इन्दौर में परिचर्या महाविद्यालय (स्वशासी) के कर्मचारियों के वेतन हेतु रुपये 2.00 लाख, मंहगाई भत्ते हेतु रुपये 2.00 लाख, मकान किराया भत्ता हेतु 10 हजार, अन्य भत्ते हेतु रुपये 5 हजार एवं ग्रेड-पे हेतु रुपये 22 हजार इस तरह कुल राशि रुपये 4.37 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,37,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7 - 9

चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध चिकित्सालयों में कर्मचारियों / अधिकारियों के अन्य भत्ते हेतु राशि रुपये 3,00,000/-, वेतन हेतु 22,000/- एवं आकस्मिक कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते हेतु रुपये 16,000/- इस तरह कुल राशि रुपये 3,38,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 3,38,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

### मद क्रमांक 10-11

सतना में जन निजी भागीदारी से एवं रतलाम में चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ किया जाना है। अतः प्रारंभिक कार्य हेतु रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

एम. वाय. चिकित्सालय की नवनिर्मित ओ. पी. डी. कक्षों हेतु फर्नीचर क्रय करने के लिये राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74  
मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 1**

पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से इंदिरा आवास योजना अंतर्गत योजना के क्रियान्वयन हेतु राज्यांश राशि रुपये 9601.65 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,01,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75  
मुख्य शीर्ष 2217

**मद क्रमांक 1-3**

इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम फॉर स्मॉल एण्ड मिडियम टाउन्स योजनान्तर्गत (191) में राशि रुपये 8228.95 लाख का व्यय, (192) में राशि रुपये 18806.72 लाख एवं (193) में राशि रुपये 740.44 लाख कुल राशि रुपये 27776.11 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,77,76,11,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

केश शिल्पी कल्याण योजना, 2013 हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3604

**मद क्रमांक 5,8,11**

स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एकमुश्त अनुदान योजनान्तर्गत (191) में राशि रुपये 473.93 लाख का व्यय, (192) में राशि रुपये 1263.81 लाख एवं (193) में राशि रुपये 1421.97 लाख कुल राशि रुपये 3159.71 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 31,59,71,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6,9,12**

प्रवेश कर से नगरीय निकायों को हस्तांतरण योजनान्तर्गत (191) में राशि रुपये 4847.20 लाख का व्यय, (192) में राशि रुपये 2751.43 लाख एवं (193) में राशि रुपये 1972.39 लाख कुल राशि रुपये 9571.02 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 95,71,02,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7,10,13**

वेटर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तांतरण योजनान्तर्गत (191) में राशि रुपये 1058.20 लाख का व्यय, (192) में राशि रुपये 755.68 लाख एवं (193) में राशि रुपये 511.41 लाख कुल राशि रुपये 2325.29 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 23,25,29,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 77  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

स्कूल शिक्षा के अन्तर्गत संचालित उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अमले हेतु चिकित्सा के अन्तर्गत रुपये 75.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 75,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।